राजस्थान सरकार
निदेशालय, महिला अधिकारिता
जे–7, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर

क्रमांकः– एफ.1(2)(85)/मअ/स्था/2015/ 19612-644 जयपुर, दिनांक : 25-9-2020

समस्त उप निदेशक/सहायक निदेशक
महिला अधिकारिता,
....

विषयः–अधिकारियों/कर्मचारियों के स्थानान्तरण के आवेदन पत्र वेबसाईट/पोर्टल पर ऑनलाईन के संबंध में।

संदर्भः–संयुक्त शासन सचिव, प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग (अनुभाग–1) की आज्ञा दिनांक 15.09.2020 के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में संयुक्त शासन सचिव, प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग (अनुभाग–1) राजस्थान जयपुर की आज्ञा दिनांक 15.09.2020 के द्वारा उनकी पूर्व समसंख्यक आज्ञा दिनांक 10.09.2020 के द्वारा उनकी पूर्व समसंख्यक आज्ञा दिनांक 10.09.2019 के द्वारा राजकीय अधिकारियों/कर्मचारियों के स्थानान्तरण/पदस्थापन पर लागू प्रतिबंध दिनांक 15.09.2020 से 31.10.2020 तक हटाया गया है। उक्त अवधि में निम्न शर्तो की पालना करने के निर्देश दिये हैंः–

1. राज्य में कोविड–19 की स्थिति को मध्यनजर रखते हुए स्थानान्तरण के लिए आवेदन का प्रार्थना पत्र विभाग की वेबसाइट/पोर्टल पर Online ही स्वीकार किया जावेगा। इस बाबत् कोई भी आवेदक कार्यालय आदि में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित नहीं होगा और न ही विभाग कागजी आवेदन पत्र पर विचार करेगा।
2. इस अवधि में किये जाने वाले स्थानान्तरणों में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा लागू की गयी आचार संहिता की पूर्ण पालना की जायेगी।

चूंकि विभागीय वेबसाईट या पोर्टल पर इस संबंध में कोई स्वतंत्र सुविधा विद्यमान नहीं है। अतः स्थानान्तरण के इच्छुक कार्मिक स्वयं की एस.एस.ओ. आई.डी पर उलब्ध राजकाज विकल्प के द्वारा Online स्थानान्तरण आवेदन पत्र दिनांक 23.09.2020 से 22.10.2020 दोपहर 12:00 बजे तक प्रस्तुत कर सकते है।

सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष स्थानान्तरण के प्राप्त समस्त आवेदन पत्रों को प्रतिदिन अपरान्ह 04:00 बजे तक विभागाध्यक्ष को Online अग्रेषित करेंगे।

यह आवेदन करने की प्रक्रिया मात्र है, स्थानान्तरण का अधिकार नहीं है। ऑन लाईन आवेदन के बिना भी विभाग राज्य हित में विभागीय आवश्यकतानुसार किसी भी अधिकारी/कर्मचारी का स्थानान्तरण हेतु स्वतंत्र होगा।

उक्त कार्य की मोनेटरिंग हेतु श्री रामचन्द्र गुर्जर, प्रशासनिक अधिकारी, संस्थापन को नोडल अधिकारी एवं सुश्री वर्षा शर्मा, प्रोग्रामर को सह नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाता है।

(रश्मि गुप्ता)
आयुक्त
महिला अधिकारिता

क्रमांकः– एफ.1(2)(85)/मअ/स्था/2015/ 19645-46 जयपुर, दिनांक : 25-9-2020

प्रतिलिपिः–

1. अतिरिक्त निजी सचिव, आयुक्त महिला अधिकारिता, मुख्यालय।
2. प्रोग्रामर, महिला अधिकारिता, मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

अतिरिक्त निदेशक, म.अ.